



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: एफ.1()संस्था/मदसविवि/2025/

दिनांक : -06-2025

कार्यालय-आदेश

श्री श्रवण लाल सेन- सहायक कर्मचारी जिनकी जन्म दिनांक कार्यालय रिकार्ड के अनुसार 01-07-1965 हैं, अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष दिनांक 30-06-2025 को पूर्ण कर लेने पर दिनांक 30-06-2025 को सेवानिवृत्त किया जाना है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 14-06-2025 की अनुपालना में श्री श्रवण लाल सेन- सहायक कर्मचारी को निम्नलिखित देय सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (1) उपार्जित अवकाश खाते में शेष रहे 300 दिन के उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान।
- (2) सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा स्वयं का अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि।
- (3) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में दिनांक 30.05.1994 से 30-06-2025 तक की गई कुल सेवा अवधि (31 वर्ष, 01 माह, 02 दिन) के लिये देय उपादान राशि।
- (4) नियमानुसार देय पेंशन (पेंशन की गणना कार्यालय आदेश क्रमांक: एफ-1() संस्था/मदसविवि/2025/14781-788 दिनांक 09.06.2025 के तहत सेवानिवृत्ति की दिनांक 30.06.2025 के पश्चात् दिनांक 01.07.2025 को Level -4 में देय एक वार्षिक वेतनवृद्धि पश्चात् मूल वेतन 37900/- पर की जायेगी)।

कुलसचिव

क्रमांक: एफ.1()संस्था/मदसविवि/2025/ 16289-302 दिनांक 20-06-2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग विभाग/पर्यावरण विज्ञान विभाग, मदसविवि, अजमेर।
02. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
03. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
04. ए.सी.पी. कम्प्यूटर केन्द्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
05. उप कुलसचिव-सामान्य प्रशासन अनुभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
06. सहायक कुलसचिव-लेखा एवं वित्त, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
07. अनुभागाधिकारी-पेंशन/बिल सहायक-विवले, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
08. निजी सचिव-कुलपति, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
09. निजी सहायक -कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
10. श्री श्रवण लाल सेन- सहायक कर्मचारी (रिमोट सेंसिंग विभाग), म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
11. व्यक्तिगत पत्रावली, संस्थापन अनुभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
12. रक्षित पत्रावली संस्थापन अनुभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।

सहायक कुलसचिव (संस्थापन)